


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462 004

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2020

क्रमांक: 19 - 28 / 2019 / 1 / 4 :: राज्य शासन, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2007 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रवीन्द्र रामचन्द्र कान्हेरे, प्रति कुलपति, इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को आगामी तीन वर्ष हेतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Syendra
11/7/2020
(डी. के. नागेन्द्र)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: 19-28 / 2019 / 1 / 4

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क (मंत्रालय) प्रकोष्ठ।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, श्यामला हिल्स, भोपाल।
7. अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की उनकी नस्ती सहित की आरे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Syendra
11/7/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग